



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-12092026-276151
CG-DL-E-12092026-276151

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4733]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 7, 2026/भाद्र 16, 1948

No. 4733]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 7, 2026/BHADRA 16, 1948

रेल मंत्रालय
(रेलवे बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अगस्त, 2026

का.आ. 4922(अ).— केन्द्रीय सरकार ने, रेल अधिनियम, 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 20क की उपधारा (1) के अधीन जारी, और भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खण्ड 3, उपखण्ड (ii), तारीख 09 जुलाई, 2025 में प्रकाशित, भारत सरकार के रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की अधिसूचना संख्यांक का. आ. 3045 (अ), तारीख 2 जुलाई, 2025 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिसूचना कहा गया है), द्वारा महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में विशेष रेल परियोजना अर्थात्, “वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर” के निष्पादन के प्रयोजन के लिए उक्त अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि को अर्जित करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 20क की उपधारा (4) के अधीन दैनिक अर्थात्, “दी टाइम्स ऑफ इण्डिया” और “दैनिक पुढारी” में तारीख 05 सितम्बर, 2025 को प्रकाशित किया गया था;

और विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर उक्त अधिसूचना के संबंध में जनता से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए थे;

और उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) के अनुसरण में, सक्षम प्राधिकारी ने अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार को प्रस्तुत कर दी है;

अब, अतः केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त होने पर तथा उक्त अधिनियम की धारा 20ड की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए घोषणा करती है कि इसके साथ उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जित की जाएगी और उक्त अधिनियम की धारा 20(ड) की उपधारा (2) के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार यह और घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर आत्यान्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

महाराष्ट्र राज्य के पालघर जिले में प्रस्तावित विशेष रेल परियोजना “वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर” के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि का संरचना सहित या उसके रहित संक्षिप्त विवरण.

जिले का नाम: पालघर

क्र. सं.	जिला का नाम	तालुका का नाम	ग्राम का नाम	सर्वे संख्या / गट संख्या	भूमि की प्रकृति	क्षेत्रफल हेक्टर मे	भू स्वामी / हितबध्द व्यक्ति का नाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	पालघर	पालघर	उंबरपाडा नंदाडे	9/क	खेती	0.0140	लोकल बोर्ड धर्मशाळा

[फा. सं. 2026/एलएमएल- II /12/1/डब्लूसी/2522]

ऋषि गंगवार, कार्यकारी निदेशक / भूमि एवं सुविधाएं

MINISTRY OF RAILWAYS

(Railway Board)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th August, 2026

S.O. 4922(E).— Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Railways (Railway Board), *vide* number S.O.3045(E), dated the 2nd July, 2025, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 09th July, 2025, (hereinafter referred to as the said notification) and issued under sub-section (1) of section 20A of the Railways Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for the purpose of execution of special railway project, namely, “Western Dedicated Freight Corridor” in the district of Palghar in the State of Maharashtra;

And whereas the substance of the said notification was published in dailies, namely, “The Times of India” and “Danik Pudhari”, dated the 05th September, 2025, under sub-section (4) of section 20A of the said Act;

And whereas no objections were received from the public in respect of the said notification within the specified period;

And whereas in pursuance of sub-section (1) of section 20E of the said Act, the competent authority has submitted its report to the Central Government;

Now, therefore, upon receipt of the report of the competent authority, and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 20E of the said Act, the Central Government, hereby declares that the land specified in the Schedule annexed hereto shall be acquired for the aforesaid purpose and in pursuance of sub-section (2) of section 20(E) of the said Act the Central Government further declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the Schedule shall vest absolutely in the Central Government free from all encumbrances.

Schedule

Brief description of the land to be acquired with or without structure for the special railway project, namely, “Western Dedicated Freight Corridor”, in the district of Palghar in the State of Maharashtra.

Name of district: Palghar

Sr. No.	Name of District	Name of Taluka	Name of Village	Survey No/ Gut No.	Nature of Land	Area in Hec.	Name of the Land Owner/Interested person
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Palghar	Palghar	Umbepada Nandade	9/C	Agricultural	0.0140	Local Board Dharmshala

[F. No. 2026/LML-II/12/1/WC/2522]

RISHI GANGWAR, ED/L&A